कम सं0 और तारीख	आदेश और पदाधिकरी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी और तारीख सहित
1	2	3

न्यायालय अन्तर्गत अनुमण्डल पदाधिकारी, राजमहल।
आर0ई0 वाद सं0 05/2017–18
आवेदक– अब्दुल हक
बनाम
विपक्षी– गोपाल मंडल वगैरह
आदेश

21-05-2018

आवेदक द्वारा दिनांक 03.06.2017 को दाखिल आवेदन पत्र के अवलोकन करने एवं उनके विद्वान अधिवक्ता को सुनने से प्रतीत होता है कि विपक्षीगण के द्वारा आवेदक की जमीन को अवैध रूप से दखल कर लिये है, जिससे उच्छेद कराना चाहते हैं। आवेदक के द्वारा दाखिल आवेदन पत्र से संतुष्ट होकर वाद की कार्रवाई प्रारम्भ करते हुए विपक्षीगण को नोटिस निर्गत कर कारण पृच्छा की मांग की गई एवं दाखिल आवेदन पत्र के आलोक में जाँच प्रतिवेदन हेतु अंचल अधिकारी, राजमहल को भेजा गया।

विवादित भूमि का विवरण

मौजा	ज0नं0	दाग नं0	रकवा
जुमा मस्जिद	15	11	01 बीघा 15 धूर एवं 10 कट्ठा 05 धूर

आवेदक को सुना। विपक्षीगण अनुपस्थित। विपक्षीगण की ओर से कारण पृच्छा भी अप्राप्त। विपक्षीगण दिनांक 29.06.2017 को क्र0 01, 02, 03 एवं 04 उपस्थित हुए। शेष सदस्य क्र0 05 से 10 तक अनुपस्थित है। विपक्षीगण उक्त तिथि दिनांक 29.06.2017 को छोडकर किसी भी तिथि में उपस्थित नहीं हुए। फलस्वरूप आज आवेदक को एकपक्षीय सुना। आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का संक्षिप्त में कहना है कि आवेदक के पिता हयात अली ने राजमहल अंचल अन्तर्गत मौजा जुमा मस्जिद के जमाबंदी नं0 15 दाग नं0 11 कुल रकवा 01 बीघा 15 धूर जमीन निबंधित केवाला सं0 3590/1969 को मो0 नबी बक्स एवं मो0 रज्जाक दोनों के पिता नूर मियाँ से क्रय कर प्राप्त किये हैं। पुनः आवेदक के भाई हरेज अली पिता हयात अली एवं हाजी मसलेम पिता स्व0 जान मोहम्मद ने निबंधित केवाला सं0 3588/1969 के जरिये इसी जमाबदी नं0 15 दाग नं0 11 का 01 बीघा 10 धूर जमीन मोहम्मद नबी बक्स व मोहम्मद रज्जाक दोनों पिता नूर मियाँ से क्रय कर प्राप्त किये है एवं हरेज अली व हाजी मसलेम अपने–अपने हिस्से 10 कट्ठा 05 धूर के दखल भोग में आये। हाजी मसलेम ने अपने हिस्से की जमीन 10 कट्ठा 05 धूर जमीन किसी अन्य के पास बिक्री कर दिये है, लेकिन हरेज अली ने अपने खरीदगी जमीन को कभी भी किसी के पास बिक्री नहीं किये है। आवेदक के पिता खरीदगी जमीन 01 बीघा 15 धूर एवं भाई हरेज अली के हिस्से की 10 कट्ठा 05 धूर जमीन विपक्षीगण के द्वारा भिन्न–भिन्न तरीके से अनाधिकृत रूप से दखल कर लिये हैं।

अतः आवेदक के विज्ञ अधिवक्ता ने वर्णित भूमि पर से विपक्षीगण को संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 की धारा 20 और 42 के अधीन उच्छेद करने का प्रार्थना किये हैं।

अंचल अधिकारी, राजमहल के पत्रांक 1888/रा0, दिनांक 17.11.2017 के द्वारा जाँच प्रतिवेदन प्राप्त। अवलोकन किया। अंचल अधिकारी, राजमहल ने अपने जाँच प्रतिवेदन में प्रतिवेदित किये है कि मौजा अराजी मोकिमपुर जुमा मस्जिद, थाना नं0 26 के जमाबंदी नं0 15 के स्थल पर गया। स्थल जाँच के क्रम में जमाबंदी नं0 15 के दाग नं0 11 में जिन व्यक्तियों का मकान बना हुआ पाया उसमें कुछ लोगों के द्वारा सरकारी कार्य में सहयोग नहीं दिया। स्थल पर जाकर दो बार कागजात की मांग की। इनके द्वारा किसी भी प्रकार

Scanned with CamScanner

का कागजात प्रस्तुत नहीं किया गया। आवेदित जमीन का खतियान एवं पंजी II से मिलान किया गया। जिसका ब्यौरा निम्नवत है। दाग नं0 का खतियान से मिलान किया तो दाग नं0 11, जमाबंदी नं0 06 है।

खतियान का ब्यौरा:– मौजा– अराजी मोकिमपुर (जुमा मस्जिद), थाना नं0 26, खाता नं0– 06 खेसरा नं0– 11, रकवा 05 बीघा 05 कट्ठा 05 धूर किस्म बाडी सेम, खतियानी रैयत का नाम– नुरन मियाँ, पिता– मिदु मियाँ, सा0– लालमाटी।

पंजी II का ब्यौरा

मौजा	थाना नं0	ज0नं0	रकवा	जमाबंदी रैयत का नाम
एराजी मोकिमपुर (जुमा मस्जिद)	26	06	05–05–05 (–) 00–04–10	नूरन मियाँ पे0 मिदु मियाँ चमक मंडल पे0 मधु मंडल दिगर नामांतरण वाद सं0 1515/13–14
			05–00–15 (–) 00–11–00	रामचरण मंडल मंडल पे0 पंचु मंडल नामांतरण वाद सं0 245/78–79
			04–09–15 (–) 00–04–02	फेकु मंडल पे0 पंचुमंडल नामांतरण वाद सं0 254/79–80
			04–05–13 (–) 00–05–02½	धीरेन्द्रनाथ कर्मकार पे0 रमेश कर्मकार नामांतरण वाद सं0 14/80–81
			04–0–10½ (–) 00–12–11	पियारू मंडल पे0 तेतरू मंडल नामांतरण वाद सं0 107/81–82
			03–07–16½ (–) 00–04–06	गोपाल मंडल पे0 पियारू मंडल नामांतरण वाद सं0 110/81–82
			03–03–10½ (–) 01–04–10	हाजी हाफुजुद्दी, बसीरउद्दीन दीगर, पिता युनुस शेख नामांतरण वाद सं0 203/89–90
			01–19–½ (–) 00–01–15	बिहपिया मंडलाईन पे0 देवेन मंडल पिता स्व0 देवेन मंडल नामांतरण वाद सं0 916/92–93
			01–17–04½ (–) 00–01–10	चन्द्रवती देवी पति राजपति मंडल नामांतरण वाद सं0 915/92–93
			01–15–13½ (–) 00–04–18	बटोरन मंडल पे0 स्व0 अकलू मंडल नामांतरण वाद सं0 544/97–98
			01–10–15½ (–) 00–08–00	झकसी मंडल, इन्द्रजीत मंडल पे0 दुर्योधन मंडल नामांतरण वाद सं0 570/06–07
			01–02–15½ (–) 00–04–05	गोवर्धन मंडल पे0 गोपाल मंडल नामांतरण वाद सं0 51/06–07
			00–18–10½ (–) 00–02–00	बनेश्वर मंडल, रामलाल मंडल पे0 मोहन मंडल नामांतरण वाद सं0 726/07–08
			00–16–10½ (–) 00–03–10	नयन मंडल पे0 ज्योतिष मंडल नामांतरण वाद सं0 454/14–15
			00–13–½ (–) 00–09–12	रंजीत मंडल पे0 बटोरन मंडल
			00–03–08½	

उपरोक्त वर्णित पंजी II के ब्यौरा के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि पंजी II में अभी मात्र 03 कट्ठा 08½ धूर जमीन अवशेष है।

Scanned with CamScanner

आवेदक के पिता ने जमाबंदी रैयत के पुत्रों 1. मो0 नबी बक्स 2. मो0 जयनूर से केवाला सं0 3588 दिनांक 04.09.1969 द्वारा क्रय किया है। लेकिन उक्त जमीन जो मौजा अराजी मोकिमपुर जमाबंदी नं0 06 दाग नं0 11 से 01 बीघा 10 धूर जमीन क्रय किया हैं इसका दाखिल खारिज नहीं किया। उक्त उच्छेदी वाद सं0 05/2017–18 के संबंध में दो बार स्थल जाँच किया एवं सभी पक्षकारों से जमीन संबंधी कागजात की मांग की। परन्तु कुछ रैयतों द्वारा सरकारी कार्य में सहयोग नहीं किया। आज तक उनके द्वारा किसी भी प्रकार का दस्तावेज नहीं दिया गया। ऐसी परिस्थिति में पक्ष सं0 V, VI एवं VII जिनके नाम क्रमशः पियारी मंडल पिता 1. तेतरू मंडल 2. गोपाल मंडल 3. हाजी हाफुजुद्दीन व बसीरउद्दीन के द्वारा किसी भी प्रकार का प्रतिवेदित जमीन का दस्तावेज नहीं दिया गया है। आवेदक ने जो जमीन खरीद किये हैं, उनका अपने नाम से नामांतरण नहीं किये हैं। अतः उपरोक्त वर्णित लोगों को पुनः सुचना निर्गत कर जमीन संबंधी दस्तावेज की मांग किया जा सकता है। उनके कागजातों के अवलोकन करने तथा उभय पक्षों को सुनने के पश्चात उच्छेदी संबंधी कार्रवाई की जा सकती है।

अंचल अधिकारी, राजमहल के जाँच प्रतिवेदन के साथ डीड सं0 3011 दिनांक 20.05.2015, 2717 दिनांक 07.05.1979, 1411/93, 3588 दिनांक 04.09.1969 एवं डीड सं0 3590 दिनांक 11.09.1969 संलग्न है।

आवेदक ने अपने मूल आवेदन के साथ अपने दावे के समर्थन में जमाबंदी नं0 06 के खतियान की छाया प्रति हिन्दी रूपांतरण के साथ दाखिल किये हैं।

आवेदक के विज्ञ अधिवक्ता को सुनने तथा अंचल अधिकारी के जाँच प्रतिवेदन के अवलोकन करने से स्पष्ट है कि आवेदक के पिता एवं भाई ने वर्णित जमीन निबंधित केवाला सं0 3590/69 दिनांक 11.09.1969 एवं 3588 दिनांक 04.09.1969 के द्वारा क्रय कर प्राप्त किये है, लेकिन अपने नाम से नामांतरण नहीं कराये है। प्रतिवेदन के अनुसार उक्त वर्णित जमीन को भिन्न–भिन्न व्यक्तियों के द्वारा क्रय कर नामांतरण कराये हैं एवं वर्तमान में मात्र 03 कट्ठा 08½ धूर जमीन ही शेष है। तथा आवेदक के द्वारा प्रश्नगत भूमि पर लाया गया वाद वादी की खतियानी भूमि नहीं बल्कि खरीदगी भूमि है, जिसपर संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 की धारा 20 एवं 42 के अंतर्गत कार्रवाई अपेक्षित नहीं है। यह वाद खतियानी रैयत के द्वारा नहीं लाया गया है, जो संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 में निहित प्रावधानों के अंतर्गत नहीं आता है। फलस्वरूप संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 में निहित प्रावधानों के अनुसार नहीं किया जा सकता है। अतएव आवेदक के आवेदन को खारिज किया जाता है।

लेखापित एवं संशोधित

21/5/18

अनुमंडल पदाधिकारी,
राजमहल

21/5/18

अनुमंडल पदाधिकारी,
राजमहल

Scanned with CamScanner